

## शब्दकोष

<p><b>‘पुरावशेष’</b> में को भी सिक्का, मूर्तिकला, चित्रकला, शिलालेख या शिल्प कौशल की कला का अन्य कार्य शामिल है; कोई वस्तु, किसी इमारत या गुफा से अलग की गई वस्तु या चीज जो ऐतिहासिक हित की हो, या केन्द्र सरकार द्वारा एक पुरातत्व घोषित की गई हो, जो कम से कम सौ वर्षों से अस्तित्व में हो।</p>
<p><b>‘ताम्रपाषाण’</b> अर्थात् चाल्को+लिथिक का अर्थ है तांबा+पत्थर। यह उस संस्कृति या अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जब तांबे के औजारों के साथ-साथ पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता था।</p>
<p><b>‘संरक्षण’</b> का अर्थ उन प्रक्रियाओं से है जिनके माध्यम से स्मारक की सामग्री, बनावट और अखंडता को इसके पुरातात्विक और स्थापत्य मूल्य, इसके ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक या अमूर्त संघों के संदर्भ में सुरक्षित रखा जाता है।</p>
<p><b>‘कोस-मीनार’</b> मध्यकालीन अवसंरचना (खंभे) है जिनका निर्माण राजमार्गों पर यात्रा और संचार के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में किया गया है।</p>
<p><b>‘जीवंत स्मारक’</b> का अर्थ है स्मारक जो अभी भी उस उद्देश्य के लिए उपयोग में था जिसके लिए उन्हें स्मारक की अधिसूचना के समय मूल रूप से डिजाइन किया गया।</p>
<p><b>‘स्मारक’</b> में कोई भी संरचना, निर्माण या स्मारक, या कोई टुमुलस या नजरबंदी का स्थान, या कोई गुफा, चट्टान, मूर्तिकला, शिलालेख या एकाश्म शामिल हैं: जो ऐतिहासिक, पुरातात्विक या कलात्मक रुचि का था और जो कम से कम एक सौ सालों से अस्तित्व में था और शामिल हैं-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) प्राचीन स्मारक के अवशेष</li> <li>(ii) एक प्राचीन स्मारक का स्थल</li> <li>(iii) किसी प्राचीन स्मारक के स्थल से सटे भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे स्मारक को बाड़ लगाने या ढकने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए आवश्यक हो, और</li> <li>(iv) एक प्राचीन स्मारक के सुविधाजनक निरीक्षण तक पहुँच के साधन</li> </ul>
<p><b>‘परिरक्षण’</b> का अर्थ है किसी स्मारक की यथास्थिति को बनाए रखना जिसमें उसकी स्थापना शामिल है जिसमें या तो जानबूझकर मानवीय हस्तक्षेप के माध्यम से या उसके कपड़ा या उसके तत्काल पर्यावरण के, क्षय के प्राकृतिक एजेंटों की कार्रवाई के कारण, परिवर्तन की अनुमति नहीं है।</p>
<p><b>‘निषिद्ध क्षेत्र’</b> का अर्थ है राष्ट्रीय महत्व के घोषित संरक्षित स्मारकों का क्षेत्र और सभी दिशाओं में 100 मीटर की दूरी तक फैला हुआ।</p>
<p><b>‘संरक्षित क्षेत्र’</b> का अर्थ किसी भी प्राचीन स्मारक से है जिसे अधिनियम द्वारा या</p>



उसके तहत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है।


**‘विनियमित क्षेत्र’** का अर्थ है प्रत्येक प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों के संबंध में क्षेत्र और राष्ट्रीय महत्व के घोषित अवशेष और सभी दिशाओं में 200 मीटर की दूरी तक फैले हुए। इस दूरी को और बढ़ाया जा सकता है।

**‘जीर्णोद्धार’** का अर्थ है स्मारक या उसके किसी भागो को यथासम्भव पूर्व ज्ञात अवस्था या स्थिति में वापस लाना।

**‘मूर्तिकला शेड’** एक ऐसा स्थान है जहां एक शालिका के भीतर स्थल के पुरातात्विक अवशेष और आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाता है।

**‘समुदाय की सामाजिक पूंजी’** एक विशेष समाज में रहने और काम करने वाले लोगों के बीच संबंधों का तंत्र है जो उस समाज को प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाता है।

**‘वक्फ बोर्ड’** एक ऐसी संस्था है जो कुछ चल, अचल इस्लामी संपत्तियों को संभालती है।



## शब्द-संक्षेप की सूची

एए	सहायक पुरातत्वविद्
एएटी	पुरावशेष और कला खजाना अधिनियम
एएचएमएसआर	प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम
एएमएसआर	प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम
एएमपी	प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम
एसए	सहायक अधीक्षक पुरातत्वविद्
एससआई	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
एटीएन	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी
बीसीई	पूर्व सामान्य युग
सीएबीए	केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड
सीएसी	केन्द्रीय पुरावशेष संग्रह
सीएजी	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
सीसीटीवी	क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन
सीई	सामान्य युग
सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीपीएम	केन्द्रीय संरक्षित स्मारक
सीपीडब्ल्यूडी	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
डीडीए	दिल्ली विकास प्राधिकरण
डीआरसी	प्रलेखन संसाधन केन्द्र
जीवीओ	वैश्विक वैश्य संगठन
एचबीएल	विरासत उपनियम
आईएम	भारतीय संग्रहालय
एमसीडी	दिल्ली नगर निगम
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमटीएस	बहु कार्य कर्मचारी
एनबीसीसी	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम
एनसीएफ	राष्ट्रीय संस्कृति कोष
एन एम	राष्ट्रीय संग्रहालय
एनएमए	राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण
एनएमएचसी	राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर
एनएमएमए	राष्ट्रीय स्मारक एवं पुरावशेष मिशन
एनपीसी-एएमएसआर	राष्ट्रीय प्राचीन स्मारक, पुरातत्व स्थल एवं अवशेष संरक्षण नीति
एनपीसीसी	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम
पीएसी	लोक लेखा समिति



आरएफआईडी	आकाशवाणी आवृत्ति पहचान
एसडीएमडी	दक्षिण दिल्ली नगर निगम
एसएलआईसी	राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति
एसएससी	कर्मचारी चयन आयोग
टीसीआईएल	टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड
यूपीएससी	संघ लोक सेवा आयोग
यूनईएससीओ	संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन
वीएंडए	विक्टोरिया और अल्बर्ट
डब्ल्यूपीसीओएस	जल एवं बिजली परामर्श सेवाएं
डब्ल्यूएचएस	विश्व विरासत स्थल

